

सं० सं०-म० नि०-II-उ० यो०-101/2022-23 24.5.2023

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक 11/11/22

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 49.20 लाख (उनचास लाख बीस हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के मत्स्य विपणन योजना के तहत बजट शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत उपबंधित राशि मो० 100.00 में से मो० 49.20 लाख (उनचास लाख बीस हजार) रु० मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह एक पूर्व चालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ अवस्था में मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन उपलब्ध कराना एवं एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान उपलब्ध करना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्ध्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :

माँग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन

(राशि लाख रु० में)

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010150010323	20.00	20.00	0.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078950010323	10.00	9.20	0.80
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079650010323	20.00	20.00	0.00
4	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050079650010544	50.00	0.00	50.00
योग :		100.00	49.20	50.80

मो० उनचास लाख बीस हजार रु० मात्र।

3-1/2

by

3. मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन के लिए विभागीय अनुदान 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम मो0 3.60 लाख रु0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। लाभुक अपनी इच्छा से चार पहिया भारवाहक वैन क्रय कर सकेंगे। शेष राशि, वाहन के निबंधन, बीमा आदि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं0 14 रा0 (विभाग) दिनांक 28.09.2020 की भांति ही शहरी क्षेत्रों में एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सक्षम स्तर से चयनित लाभुकों को प्रति लाभुक अधिकतम मो0 1.00 लाख रु0 का उपकरणों के रूप में अनुदान कुल 06 लाभुकों के रंगीन मछली/एक्वेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा जिसपर विभागीय योजना का नाम अवश्य अंकित किया जाएगा।

5. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे -

- (i) जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
- (ii) जिला सहकारिता पदाधिकारी
- (iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
- (iv) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
- (v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (vi) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (vii) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव

7. लाभुकों के चयन का आधार निम्न प्रकार होगा :-

7.1 चार पहिया भारवाहक वैन के लाभुकों का चयन का आधार निम्न प्रकार होगा -

- (क) लाभुक द्वारा कम से कम मो0 6.00 लाख रु0 का भार वाहक वैन खरीदने का आवेदन दिया गया हो।
- (ख) आवेदक/आवेदक समिति मछली के विपणन कार्य अथवा मछली के बीज का परिवहन करती हो।
- (ग) आवेदक/आवेदक समिति अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।
- (घ) आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।

संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदन किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।

7.2 एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान के लिए लाभुकों का चयन निम्न आधार पर होगा -

- (क) आवेदक रंगीन मछली पालन/एक्वेरियम शॉप संचालन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।
- (ख) मत्स्य प्रसार, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना में रंगीन मछली पालन के प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ग) आवेदक अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।
- (घ) दिव्यांग आवेदक जो कंडिका 8.2 (ख) में हों उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

- 7.3 दिव्यांग होने की स्थिति में आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।
- 7.4 चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. वैसे लाभुक जिन्हें चारपहिया भार वाहक वैन अनुदान पर दिया जायेगा उन्हें अन्य उपकरणों के क्रय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
9. लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।
10. जिला मत्स्य पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने जिला/स्थापना के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के क्रमांक एवं विभाग तथा योजना के नाम को शॉप तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से शॉप/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।
11. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I' के रूप में संलग्न है।
12. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'I') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
13. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
14. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।
15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आ०-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
17. यह पूर्णतः राज्य योजना है।
18. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन एवं मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय अंतर्गत कुल स्वीकृत बजट मो० 300.00 लाख (संशोधित बजट उपबंध - मो० 297.11 लाख रु० मात्र) में से मो० 199.91 लाख रु० मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।
19. विषयगत योजना अंतर्गत सामग्रियों के क्रय में वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
20. मत्स्य परिवहन हेतु भारवाहक वाहन का मानक निर्धारण किया जाय। भारवाहक वाहन से लाभान्वित समितियों के कार्यकलाप/आय पर impact study की जाय।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 24.10.2020/रॉची, दिनांक 11/11/22
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

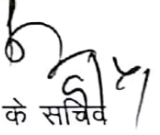

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 24.10.2020/रॉची, दिनांक 11/11/22
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 24.10.2020/रॉची, दिनांक 11/11/22

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आ0 वि0 सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव



परिशिष्ट 'I'
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य विपणन योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक लक्ष्य (रिंग में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)

मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																			
क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन						लघु शीर्ष-789-अनुसंधान जालियों के लिए विशेष मदक योजना						लघु शीर्ष-790-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
		मछली पालन हेतु चार पहिया भार वाहक दैन के लिये अनुदान (सरकारी सहायता अधिकतम मो0 3.60 लाख रु0 प्रति)		एकधरियम शीप/रगीन मछली दुकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान		उप योग (वित्तीय)	मछली पालन हेतु चार पहिया भार वाहक दैन के लिये अनुदान (सरकारी सहायता अधिकतम मो0 3.60 लाख रु0 प्रति)		एकधरियम शीप/रगीन मछली दुकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान		उप योग (वित्तीय)	मछली पालन हेतु चार पहिया भार वाहक दैन के लिये अनुदान (सरकारी सहायता अधिकतम मो0 3.60 लाख रु0 प्रति)		एकधरियम शीप/रगीन मछली दुकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान		उप योग (वित्तीय)			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15
		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	3.60		
		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	3.60		
		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	3.60		
		2	7.20	1	1.00	8.20	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	8.20		
		0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60		
		0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60		
		1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60		
		1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60		
		1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60		
		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	3.60		
		0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	3.60		
		0	0.00	1	1.00	1.00	0	0.00	2	2.00	2.00	0	0.00	2	2.00	2.00	5.00		
		5	18.00	2	2.00	20.00	2	7.20	2	2.00	9.20	5	18.00	2	2.00	20.00	49.20		

(कुल मो 02 उनवास लाख बीस हजार ₹0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझे।

(अनुसूचक विभाग के अधिकारी के साक्ष्य)

25/1/24